राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक एफ 7(139)परि/नियम/मु./99/II/2007/14668 जयपुर, दिनांक:– 03/08/2015

कार्यालय आदेश 25/2015

शिक्षण संस्थाओ के छात्र–छात्राओं को लाने व ले जाने में लगे तिपहिया वाहनों की नियमित एवं प्रभावी जांच के संबंध में–

स्कूली बच्चों के चचंल एवं जिज्ञासु स्वभाव होने के कारण इनका परिवहन ऑटो रिक्शा द्वारा सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है फिर भी तिपहिया वाहनों में स्कूली बच्चों को लाया ले–जाया जाता है तो राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.19 के उप–नियम 4(क) में वर्णित शर्तो के अनुरूप यान में ले जाये जाने वाले स्कूली बच्चों की संख्या यान की बैठक क्षमता से डेढ़ गुनी से अधिक नहीं होगी।

अतः समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे शिक्षण संस्थाओं के छात्र–छात्राओं को लाने व ले जाने में कार्यरत तिपहिया वाहनों की प्रभावी चैकिंग कराएं एवं अतिभरण के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार कठोर (परमिट/पंजीयन/चालक लाईसेंस निलम्बन आदि) कार्यवाही अमल में लायी जावे। प्रत्येक माह की 10 तारीख तक की गई कार्यवाही से नियमित रूप से अपर परिवहन आयुक्त (स.सु. एवं प्रवर्तन) को अवगत कराया जावे।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को अत्यन्त गंभीरता से लिया जावेगा।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

क्रमांक एफ 7(139)परि/नियम/मु./99/II/2007/14669-675 जयपुर, दिनांक– 03/08/2015

प्रतिलिपि:–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, राज. जयपुर।
2. अपर परिवहन आयुक्त (स.सु. एवं प्रवर्तन)।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को परिवहन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)